# राजस्थान सरकार
# ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
# (अनुभाग–8)

(दूरभाष 0141–2227229, Email-pdme2k_rdd@yahoo.com)

क्रमांक 4(21)ग्रावि/अनु–8/2015/ दिनांक: 20/10/16

## विडियो कॉन्फ्रेन्स कार्यवाही विवरण

श्रीमान् शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 19 अक्टूबर 2016 को शासन सचिवालय के समिति भवन, उत्तर पश्चिम भवन में स्थित विडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष से जिला परिषद के उपस्थित मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं प्रभारी अधिकारियों के साथ जिलेवार एवं योजनावार समीक्षा की गई, जिसमें निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये:–

1. महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत की गयी बजट घोषणा को जिलों द्वारा गंभीरता से नहीं लेते हुए सभी योजनाओं की स्वीकृतियॉ जारी नहीं की जा रहा है। समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि एक माह में सभी स्वीकृतियॉ जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
2. महात्मा गांधी नरेगा योजना में वर्मीकम्पोस्ट के उतने ही लक्ष्य है जितने आवंटित लक्ष्य है। वर्मी कम्पोस्ट की स्वीकृति जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
3. महात्मा गांधी नरेगा योजना में व्यक्तिगत लाभार्थियों को कार्य स्वीकृत कर अनिवार्य रूप से कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व दीवार लेखन किया जाये।
4. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज की सभी योजनाओं में 20 प्रतिशत राशि तक महात्मा गांधी नरेगा योजना से कन्वर्जेन्स कराये जाने का प्रावधान है लेकिन जिलों द्वारा इनका कन्वर्जेन्स नहीं कराया जा रहा है। अतः कन्वर्जेन्स कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वृक्षारोपण व अन्य कार्य करने के लिए CFL को कार्यकारी एजेन्सी बनाया जा रहा है। पूर्व में स्वीकृत कार्यो में किसी प्रकार का परिवर्तन न कर पूर्व में जिन संस्थाओं को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया है उन्हें ही बनाया जाए।
6. 3 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्य करने वाले कनिष्ट तकनीकी सहायक का अन्य जिले की अन्य पंचायत समिति में स्थानान्तरण कराया जाना सुनिश्चित करें।

7. सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी लाईट्स प्रोजेक्ट के अन्दर आने वाले केसों की समीक्षा पहले व तीसरे सोमवार को करेंगे।
8. आवास योजनाओं में इन्दिरा आवास, मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना में वर्ष 2015 तक के स्वीकृत कार्यो को अनिवार्य रूप से 30 नवम्बर 2016 तक पूर्ण कराया जाना है। इसके लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सभी कार्यवाही करने हेतु सक्षम होगे। इस संबंध में समस्त जिला कलक्टरों से अपेक्षा है कि वे प्रति सप्ताह आवास योजना की समीक्षा करें।
9. आवास योजना के अपूर्ण कार्यो को पूर्ण कराने के लिए लगाये जाने वाले कैम्पों, Tag officer एवं अन्य सभी कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि पूर्ण प्रयास के उपरान्त भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि 30 नवम्बर 2016 तक सभी आवास पूर्ण नहीं कराये तो उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।
10. कुछ जिलों द्वारा पर्याप्त संख्या में Tag officers की नियुक्ति नहीं की जा रही है। आगामी 7 दिवस में Tag officers की नियुक्ति नहीं किये जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को निलम्बित किया जायेगा।
11. ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में कराये जा रहे कार्यो की सीसी समयबद्ध तरीके से समायोजित की जानी है। सीसी देरी से जारी करने व समय पर पूरा नहीं करने के कारण ग्रामीण कार्य निर्देशिका में पैनेल्टी का प्रावधान है। इस संबंध में अधीक्षण अभियन्ता–आईएवाई द्वारा पैनेल्टी लगायी जाने हेतु प्रमुख शासन सचिव महोदय की ओर से पत्र जारी कराया जाए।
12. जनभागीदारी विकास योजना वर्ष 2016–17 में आवंटित 100 करोड की राशि सभी जिलों को आवंटित कर दी गयी है। जिन जिलों द्वारा 30 नवम्बर 2016 तक आवंटित राशि के विपरीत प्रशासनिक स्वीकृतियॉ जारी नहीं की जाऐगी उन जिलों से राशि लेकर अन्य जिलों को आवंटित कर दी जायेगी।
13. भारत सरकार द्वारा 70 करोड की राशि की मांग की जा रही है। प्राप्त होते ही उपलब्ध करवा दी जायेगी। दिवस का नोटिस देगें एवं 7 दिवस पश्चात भी आवास किस्त के भुगतान की कार्यवाही नहीं हो तो विकास अधिकारी को चार्जशीट देगें।
14. प्रमुख शासन सचिव महोदय के निर्देशानुसार प्रत्येक मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्धारित संख्या में क्षेत्र का निरीक्षण किया जाना है। अगस्त 2016 से ऑन लाईन रिपोर्टिग करने हेतु सिस्टम लागू कर दिया गया है। सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी रिपोर्ट अनिवार्य रूप से ऑन लाईन इन्द्राज करें।

15. सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतें जिला स्तर या जिले से नीचे स्तर पर लम्बित है। इन्हें आगामी 15 दिवस में निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। जिलों को Allokate शिकायतों की समीक्षा प्रतिदिन कर निस्तारित करावें।
16. ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं में सामुदायिक भवन बनाने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करें। एक गांव में एक से अधिक सामुदायिक भवन स्वीकृत नहीं करें।
17. ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न जिला परिषदों के माननीय न्यायालयों में प्रक्रियाधीन प्रकरणों की समीक्षा की गई तथा सीईओं जिला परिषद को अवमानना प्रकारणों का जवाब शीघ्र प्रस्तुत करने, रेड केटेगरी के प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा कर निस्तारण की कार्यवही करने एवं प्रकरणों की लाइट्स पर पूर्ण प्रविष्टि करने के निर्देश दिये गये।

इसके अतिरिक्त लाइट्स वेबसाइट पर विशिष्ट एवं अपडेशन की अद्यतन सूचना के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र देने हेतु समस्त जिलों को निर्देशित किया गया कि वे जिलों एवं पंचायत समिति में लाइट्स की प्रविष्टि एवं अपडेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया। जिला परिषद जोधपुर/बीकानेर को मा0 न्यायालय के समक्ष जवाब दावा समय पर प्रस्तुत कर वैबसाईट पर अपडेशन हेतु निर्देशित किया गया।

20/10/16

(सी.एल.वर्मा)
परि. निदे. एवं उप सचिव (मो. एवं मू.)

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित हैः–</u>

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी संचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5. जिला कलक्टर, समस्त, राज0।
6. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास विभाग।
7. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण विभाग।
8. परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस/एसएपी–।,।।/मो. एवं मू., ग्रामीण विकास विभाग।
9. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग।
10. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई, ग्रामीण विकास विभाग।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0 कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
12. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु प्रेषित है।
13. सूचना सहायक, ग्रामीण विकास को संबंधित को ईमेल करने हेतु।

20/10/16

परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)